प्रेस विज्ञप्ति

12.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 10/12/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में 19 स्थानों पर सुम्माया-डेंट्सू मामले में चल रही जांच के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, चल संपत्ति यानी 46 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 4 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा और 3.4 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें जब्त की गईं। तलाशी कार्यवाही के दौरान अचल संपत्ति लेनदेन से संबंधित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने मेसर्स डेंटसु कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके प्रमोटरों सहित अन्य के खिलाफ वर्ली पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उन पर भविष्य में 'नीड टू फीड प्रोग्राम' के लाभ का वादा करने की आड़ में एक साथ साजिश रचने और 137 करोड़ रुपये के फंड का गबन करने का आरोप है।

ईडी की अब तक की जांच से पता चला है कि हरियाणा सरकार के कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए 'नीड टू फीड' कार्यक्रम के बहाने एनबीएफसी से व्यापार वित्तपोषण प्राप्त किया गया था। आरोपियों को सरकार से कोई अनुबंध नहीं मिला है और ऐसा कोई कार्यक्रम कभी अस्तित्व में भी नहीं था। आरोपी संस्थाओं ने वास्तव में ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए कभी भी कृषि उत्पाद सामग्री की आपूर्ति नहीं की है। हालांकि, यह झूठी धारणा बनाने के लिए कि वे कृषि उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं, इस मामले में आरोपियों ने मिलीभगत की और नकली लॉरी रसीदें और नकली चालान सहित नकली रिकॉर्ड बनाए।

तलाशी अभियान से पता चला है कि सुमाया समूह की सूचीबद्ध संस्थाओं ने 5000 करोड़ रुपये के लेनदेन किए, जिनमें से केवल 10 प्रतिशत लेनदेन वास्तविक थे। ये लेन-देन सर्कुलर पैटर्न में किए गए थे, जिसके कारण डेंटसु इंडिया सहित शामिल संस्थाओं के टर्नओवर में वृद्धि हुई। सुमाया समूह की सूचीबद्ध समूह संस्थाओं के निवेशकों को इस तरह के कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए लेनदेन दिखाने के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था, जिससे शेयर की कीमतों में भारी उछाल आया। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 तक दो साल की अवधि में सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टर्नओवर 210 करोड़ रुपये से बढ़कर 6700 करोड़ रुपये हो गया, जिससे इस अवधि के दौरान शेयर की कीमत 19 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर 736 रुपये हो गई। इसके अलावा, सर्कुलर लेन-देन से सरकारी अनुबंध के लिए बोली लगाने वाली संस्थाओं, मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए स्टार्टअप्स और अन्य के टर्नओवर में तेजी से वृद्धि हुई।

जांच से पता चला है कि यह सब स्टॉक ब्रोकरों और मर्चेंट बैंकरों की मिलीभगत से किया गया था, जिसमें एनसीडीईएक्स पर कमोडिटी अनुबंधों और कंपनियों के अधिग्रहण के लिए नकद राशि का भुगतान किया गया था, जिन्हें बाद में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।